

न्यायालय नं० तहसीलदार महवा जिला दोसा (राज.)

निसल नम्बर 392/18 तारीख रज 15/3/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का नाहडा बनाम
 श्री राभराज मधवा पुत्र श्रीमोक्षिंह जाति गुजरा निवासी सिकन्दरपुर तहसील

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री राभराज ने ग्राम सिकन्दरपुर को भूमि ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चरागाह फसल रबि / खसीफ संवत 20 74 में अरसो कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चरागाह वाके ग्राम सिकन्दरपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8,000/- 50 गुणा 40000/- शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल अरसो को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसीले राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बायब तहसीलदार
महवा (दोसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर नं०/व की फाइल नं० 112 ...
 वर्ष 2017-18 ...
 की रकबा 400 ...
 दिनांक 12/3/18 ...
लेखाकार
 तहसील-महवा